

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मई 2016—ज्येष्ठ 9, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2016

क्र. एफ-ए-3-21-2016-1-पांच (31).—यतः, आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-ए-3-195-2005-1-पांच (20), दिनांक 31 मार्च 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 4 एवं 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

| अ. क्र. | जांच चौकी तथा नाके के स्थान का नाम तथा वर्णन | जांच चौकी तथा नाके की अवस्थिति |
|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "4 | बड़वानी जिले में, सेंधवा-खेतिया-नंदूरवार मार्ग पर ग्राम तलव, | सेंधवा-खेतिया-नंदूरवार मार्ग पर, सेंधवा से (नंदुवार की ओर) 22-23 कि. मी. के मध्य एकीकृत जांच चौकी पर; |
| 13 | सागर जिले में, सागर-ललितपुर मार्ग पर, ग्राम अटा, | सागर ललितपुर मार्ग पर, सागर से (ललितपुर की ओर) 69-70 कि. मी. के मध्य एकीकृत जांच चौकी पर." |

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 मई 2016 से प्रवृत्त होगी.

No. F-A-3-21-2016-1-V-(31).—WHEREAS, the Commissioner of Commercial Tax, Madhya Pradesh is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's notification No. F-A 3-195-2005-1-V (20), dated 31st March 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 4 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

| S. No. | Name and description of place of check post and barrier | Location of check post and barrier |
|--------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| "4 | Village Talav in the district Barwani on Sendhwa-Khetia-Nandoorwar road. | At Intergrated Check Post between 22-23 K. M. from Sendhwa (towards Nandoorwar) on Sendhwa-Khetia-Nandoorwar road; |
| 13 | Village Ata in the district Sagar on Sagar-Lalitpur road | At Intergrated Check Post between 69-70 K. M. from Sagar (towards Lalitpur) on Sagar-Lalitpur road." |

2. This Notification shall come into force from the date of publication.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.